वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

सं. 5-1(234)/2014-पीडी दिनांक: 31.07.2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी, सीएसएस/सीएसएसएस के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों के समकक्ष सीएसआईआर के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों को गैर-कार्यात्मक वेतमान प्रदान किए जाने की व्यवस्था का निरसन का स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर सीएसआईआर के कार्यालय ज्ञापन सं. 5-1(234)/2008-पीडी दिनांक 03.07.2026 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि केंद्रीय सचिवालय सेवा/केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएस/सीएसएसएस) के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों (एसओ/पीएस) के समकक्ष सीएसआईआर के अनुभाग अधिकारियों/निजी सचिवों (एसओ/पीएस) को प्रदान किए जाने वाले गैर-कार्यात्मक वेतनमान (एनएफएस) को दिनांक 01.01.2017 से समाप्त किया जाता है। उक्त कार्यालय ज्ञापन में यह भी निर्धारित किया गया था कि जिन सेवारत कर्मचारियों को गैर-कार्यात्मक वेतनमान (एनएफएस) का लाभ प्रदान किया गया था, उनके वेतन का उक्त लाभ प्रदान किए जाने की तिथि से पुनर्निर्धारण किया जाएगा तथा इस संबंध में संबंधित प्रयोगशालाओं/संस्थानों/एककों द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई भी निर्दिष्ट की गई थी।

उक्त कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने के उपरांत, इसके क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण अपेक्षित करते हुए कुछ प्रयोगशालाओं/संस्थानों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस विषय पर सीएसआईआर के वित्तीय सलाहकार के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार एवं परीक्षण किया गया है। तदनुसार, अधोहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी करने का निदेश हुआ हैः

(i) जिन सभी सेवारत कर्मचारियों को गैर-कार्यात्मक वेतनमान (एनएफएस) का लाभ प्रदान किया गया था, उनके वेतन का पुनर्निर्धारण उक्त लाभ प्रदान किए जाने की तिथि से, सीएसआईआर के दिनांक 03.07.2026 के पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उक्त पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप यदि किसी कर्मचारी के वेतन में कमी आती है, तो ऐसी कमी को मूल नियम एफ आर 9(23) के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत वेतन के रूप में संरक्षित किया जाएगा।

(ii) दिनांक 27.11.2025 की स्थिति के अनुसार देय एवं आहरित विवरण (Due-and-Drawn Statement) तैयार किया जाएगा और यदि कोई अधिक भुगतान हुआ हो, तो उसकी राशि का निर्धारण किया जाएगा। उपर्युक्त पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी अधिशेष भुगतान की राशि की वसूली किसी भी कर्मचारी से नहीं की जाएगी।

(iii) चूँकि संबंधित प्रयोगशालाओं/एककों/सीएसआईआर मुख्यालय में वेतन के पुनर्निर्धारण का वास्तविक क्रियान्वयन दिनांक 03.07.2026 अथवा उसके पश्चात किसी तिथि को हो सकता है, अतः दिनांक 28.11.2025 से वेतन के पुनर्निर्धारण के वास्तविक क्रियान्वयन की तिथि तक की अवधि के लिए संबंधित प्रयोगशालाओं/एककों/सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा देय एवं आहरित विवरण (Due-and-Drawn Statement) तैयार किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, "देय" वेतन की गणना दिनांक 27.11.2025 को पुनर्निर्धारण के उपरांत देय व्यक्तिगत वेतन सहित पुनर्निर्धारित वेतन के आधार पर की जाएगी। उक्त अवधि के दौरान यदि देय एवं आहरित विवरण के आधार पर किसी प्रकार के अधिशेष भुगतान का निर्धारण होता है,, तो ऐसी अधिशेष भुगतान की राशि संबंधित कर्मचारी से वसूल की जाएगी।

31/7/26

(छेरिंग तोबदन)
वरिष्ठ उप सचिव (नीति प्रभाग)

सेवा में:

1) सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रमुख – सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपि:

1) सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/ मुख्यालय/एककों के वरिष्ठ उप सचिव/वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/ उप सचिव/ प्रशासन नियंत्रक/अवर सचिव/ प्रशासनिक अधिकारी
2) सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/ मुख्यालय/ एककों के वरिष्ठ उप वित्तीय सलाहकार/ वरिष्ठ वित्त एवं लेखा नियंत्रक/ उप वित्तीय सलाहकार /वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी

– सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

3) महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय
4) संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर का कार्यालय
5) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
6) सीएसआईआर वेबसाइट
7) कार्यालय प्रति